Witness No........01.......for.......अभियोजन साक्ष्य.......Deposition taken this ......30....day of......04.......2026 witness's apparent age.......39 वर्ष..........

States on affirmation/My name is..............डॉ० किशोर सिंह ठाकुर...........

S/of .....स्व० धनराज सिंह ठाकुर...Occupation ...सहायक प्राध्यापक..........

address....शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ०ग०.....

समयः 12.00 बजे से ।

(1) मैं माह नवम्बर 2021 से अब तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूं ।

(2) मेरे पदस्थापना के दौरान थाना कांकेर के अपराध क्रमांक 218/2025 धारा 103 (1), 3(5) बी० एन० एस० के प्रकरण में मृतक शिव बाल्मिकी, पिता स्व० तिजूराम बाल्मिकी, उम्र 23 वर्ष निवासी टिकरापारा कांकेर, जिला कांकेर के शव को शासकीय कोमलदेव अस्पताल कांकेर में पुलिस थाना कांकेर के आरक्षक 815 धनेश ध्रुव के द्वारा पी०एम० कराने लाया गया था, उक्त आवेदन प्र०पी०-01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसका मेरे द्वारा शव परीक्षण के दौरान निम्नप्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार किया गया है।

(3) **बाह्य परीक्षण–** 1. मृतक नीले रंग का जींस और ग्रे अंडरवियर पहना हुआ था । मृतक की खून के धब्बे पहने हुए जींस पेंट पर जगह-जगह लगे हुए थे । मृतक के दोनो पैरों पर मिट्टी के धब्बे लगे हुए थे । खून के धब्बे मृतक के शरीर पर जगह-जगह लगे हुए थे । क्रीम कलर का टीशर्ट मृतक के शरीर के साईड में मौजुद था, जिसमें खून के धब्बे एवं सफेद दाग टीशर्ट में जगह-जगह मौजुद थे । मृतक के भाये भाग में SJ और BHARTI बांये हाथ में मौजुद था एवं छाती में बाज का टैटू बना हुआ था ।

(4) **चोटों का विवरण–** 1. स्टैब वुंड गले की बांयी ओर मौजुद था जिसका आकार 2 से.मी.X 0.2 से.मी. X7 से.मी. था, जिसमें 03 स्टीचेस लगे हुए थे । स्टैब वुंड के नीचला अंदरूनी सिरा तेज था और उपरी बाहरी सिरा भोथरा था । स्टैब वुंड गहरा था, जिसमें चमडी, टिशू और रक्त वाहिका कटे हुए थे ।

2. स्टैब वुंड छाती की बांयी ओर मौजुद था, जिसका आकार 1.1 से.मी.X 0.2 से.मी. X पसली की गहराई तक था, जिसमें 01 स्टीचेस लगे हुए थे । स्टैब वुंड के उपरी अंदरूनी सिरा भोथरा था और निचला बाहरी सिरा तेज था । स्टैब वुंड गहरा था, जिसमें चमडी, टिशू और पसली (MUSCLE) कटे हुए थे ।

3. स्टैब वुंड छाती की बांयी ओर मौजुद था जिसका आकार 2.4 से.मी.X 0.2 से.मी. X पसली की गहराई तक था, जिसमें 01 स्टीचेस लगे हुए थे । स्टैब वुंड का नीचला बाहरी सिरा तेज था और उपरी अंदरूनी सिरा भोथरा था । स्टैब वुंड गहरा था, जिसमें चमडी, टिशू और पसली (MUSCLE) कटे हुए थे ।

4. मृतक के सभी अंदरूनी आर्गन PALE थे ।

5. मृतक के पेट में लगभग 200 एम०एल खून मौजुद था ।

(5) <u>**अभिमत–**</u> मेरे मतानुसार मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 18 घंटे पूर्व की थी । मृतक की मृत्यु सिंगल एज धारदार हथियार से गले में आयी चोट के कारण HEMORRHAGIC SHOCK के कारण हुई थी, जो कि तत्काल प्राणघातक है और सामान्यतः मृत्यु के कारण के लिए पर्याप्त है । मृतक की शरीर में आयी सभी चोटे मृत्यु पूर्व की थी एवं ताजा थी । चोट क्रमांक 01 से 03 सिंगल एज धारदार हथियार से आयी थी एवं होमिसायडल प्रकृति की थी।

(6) शव परीक्षण पश्चात मेंरे द्वारा विसरा, मृतक के कपडे, टीशर्ट एवं खून लगा कपडा, कंट्रोल संहित प्रिजर्व कर रासायनिक परीक्षण की सलाह दिया था । मेरे द्वारा दिया गया परीक्षण रिपोर्ट **प्र०पी० 02** है, जो 06 पन्नो में है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

(7) पुलिस थाना कांकेर के अपराध क्रमांक 218/2025 धारा 103 (1), 3(5) बी० एन० एस० के प्रकरण में जप्तशुदा चाकू एवं कपडा का क्युरी रिपोर्ट प्रदाय करने पत्र क्रमांक 2553/2025 दिनांक 30.07.2025 को प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र दिनांक 04.08.2025 को प्राप्त हुआ था, उक्त पत्र में निम्नबिन्दु पर परीक्षण कर अभिमत मांगा गया था–

प्रश्न 1. क्या जप्तशुदा चाकू से मृतक की मृत्यु हो सकती है?

प्रश्न 2. क्या जप्तशुदा चाकू, मृतक का कपडा तथा आरोपिया के कपडे में लगे खून मृतक का ही खून है?

(8) मुझे 04 जप्तशुदा प्रदर्श प्राप्त हुए थे । जप्तशुदा पार्सल जिसमें जप्तशुदा पार्सल नंबर 01 में आरोपी तुसार साहू अंकित था । पार्सल को खोलने से एक ब्लेक कलर का टीशर्ट मिला। ब्लैक कलर का हाफ टीशर्ट जिसका साईज 2 XL था, जिसके गले के अंदरूनी भाग में THALASI ORIGINAL INDIA ब्रांड प्रिंट था, जिसमें खून के धब्बे जगह जगह लगे हुए थे । टीशर्ट के आगे एवं पीछे भाग में भूरे रंग का धब्बा मौजुद था ।

(9) जप्तशुदा पार्सल नंबर 02 में सोमेश चक्रधारी अंकित था । पार्सल को खोलने से एक नीले रंग का टीशर्ट जिसमें सफेद बाह का था । नीले रंग का हाफ टीशर्ट के सामने भाग में THUG LIFE ब्रांड प्रिंट था । टीशर्ट के आगे भाग में भूरे रंग का धब्बा मौजुद था, जो नीले पेन से मार्क था ।

(10) जप्तशुदा पार्सल नंबर 03 में मर्ग क्रमांक 112/2025 अंकित था । पार्सल को खोलने से एक सफेद रंग का फूल शर्ट मौजुद था ।सफेद कलर का फूल शर्ट जिसका साईज L था, जिसके गले के अंदरूनी भाग में G18 ब्रांड प्रिंट था, जिसमें खून के धब्बे जगह–जगह लगे हुए थे । फूल शर्ट के पीछे भाग में भूरे रंग का धब्बा मौजुद था, जो कि नीले पेन से मार्क था ।

(11) जप्तशुदा पार्सल नंबर 04 में जिसमें आरोपी तुषार साहू अंकित था । पार्सल को खोलने से एक सिंगल एज धारदार चाकू जिसमें भूरे रंग का लकड़ी का हैंडल मौजुद था । भूरे रंग का धब्बे (खून) चाकू पर मौजुद था । चाकू का आकारः ब्लेड की लंबाई 16 से.मी. थी, जिसके नोकदार सतह से 5 से.मी. ब्लेड की चौडाई 1.9 से०मी० थी एवं 10 से.मी. में ब्लेड की चौडाई 2.5 से०मी० थी, ब्लेड की मोटाई 0.2 से.मी. थी, चाकू के हैंडल की चौडाई 2.4 से.मी., लंबाई 10 से.मी. थी ।

अभिमतः– प्रश्न 1. क्या जप्तशुदा चाकू से मृतक की मृत्यु हो सकती है?

उत्तर– मृतक की मृत्यु जप्तशुदा चाकू से होना संभव है ।

प्रश्न 2. क्या जप्तशुदा चाकू, मृतक का कपडा तथा आरोपिया के कपडे में लगे खून मृतक का ही खून है?

उत्तर– भूरे रंग के धब्बे चाकू, क्राईम सीन से उपलब्ध कपडे एवं मृतक के कपडे में मौजुद थे, जिसको मानव रक्त एवं डी०एन०ए० परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० परीक्षण कराये जाने के भेजने की सलाह दिया गया । मेरी क्युरी रिपोर्ट **प्र०पी०–03** है, जो 04 पन्नो में है, जिसके अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तुकेश्वर राणा चीफ एल० ए०डी०सी० अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।</u>

(12) यह कहना सही है कि मैंने मुख्य परीक्षण के दौरान मृतक के पैरों पर मिट्टी का धब्बा लगा होना बताया हूं । यह कहना गलत है कि मृतक के शरीर में जिस प्रकार की चोटे आयी थी वैसी चोटे दुर्घटना के परिणामस्वरूप आ सकती है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने पुलिस थाना कांकेर से 04 पार्सल परीक्षण हेतु प्राप्त होना बताया है आपने परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०–03 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि प्राप्त पार्सल सीलबंद अवस्था में था या नहीं, इस पर साक्षी का कहना है कि मुझे जिस प्रकार प्राप्त हुआ था, वह मैंने उल्लेख किया है ।

(13) यह कहना सही है कि थाना से प्राप्त पार्सल सीलबंद अवस्था में नहीं था और न ही उसमें नमूना सील था ।

न्यायालय द्वारा प्रश्नः–

प्रश्न– आपने किस बात का उल्लेख किया है?

उत्तर– पार्सल 1,2,3 न्यूजपेपर एवं रस्सी से बंधे प्राप्त हुए थे । पार्सल नंबर 4 न्यूजपेपर एवं रिब्बन से बंधे प्राप्त हुए थे ।

(14) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि क्या आपने मृतक का पी०एम० करते समय मृतक के शरीर से पृथक से ब्लड सेम्पल डी०एन०ए० टेस्ट कराने के लिए दिया था, इस पर साक्षी का कहना है कि नहीं दिया था । साक्षी का स्वतः कहना है कि सूखे कपडे पर खून एवं कट्रोल सेम्पल प्रिजर्व किया गया था । यह कहना गलत है कि पुलिस थाना के कहने पर मैंने असत्य आधारों पर प्र०पी०–02 का परीक्षण रिपोर्ट एवं प्र०पी०–03 का क्युरी रिपोर्ट तैयार किया था।

समय 12.35 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर

अभिसाक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया गय । गवाह की प्रतिपरीक्षण करने का मौका था, लिया गया । तथा अभियुक्त का अभिसाक्ष्य का अर्थ समझा दिया गया और उसकी उपस्थिति में मेरे द्वारा अभिप्रमाणित किया गया ।

सहीं/-
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ०ग०